उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-185/2018/2080/71-1-2018-ग-1/2014
लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राकेश सक्सेना, आचार्य (संविदा), सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1975/71-1-2014-ग-1/2014, दिनॉक 10-07-2014 द्वारा संविदा के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आचार्य, सर्जरी के पद पर 01 वर्ष अथवा नियमित आचार्य उपलब्ध होने अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त किया गया था। डा0 राकेश सक्सेना की संविदा अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार डा0 राकेश सक्सेना की संविदा अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1091/71-1-17-ग-1/2014, दिनॉक 01-06-2017 द्वारा दिनॉक 15-07-2017 के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 15-07-2018 को समाप्त हो रही है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- एम0ई0-2/2018 /560, दिनॉक 07.06.2018 में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 राकेश सक्सेना, आचार्य (संविदा), सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर की संविदा अवधि मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में आचार्य के पद पर दिनॉक 15.07.2018 से 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाए जाने पर इस प्रतिबन्ध सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 राकेश सक्सेना संविदा पर नियुक्ति के दौरानः-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगें।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट पै्रक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानांतरित नहीं कियें जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15.12.2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/जारी दिनांक 07.06.2010 तथा शासनादेश संख्या-2282/71- 1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 13.09.2013 में निर्धारित अन्य सुसंगत शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संविदा पर नियुक्त डा0 राकेश सक्सेना को शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-14-जी-63/2008, दिनॉक 22-01-2015 में वर्णित व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या:- 185/2018/2080(1)/71-1-2018- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- संबंधित चिकित्सा शिक्षक
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।